

भारत सरकार  
कार्यालय, आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२ए/एए के तहत आवेदन  
जमशेदपुर, दिनांक 31.01.2006, 2006

(SOCIAL & HEALTHY ACTION FOR RURAL  
EMPOWERMENT) VILLAGE P.O. SARANDA, JAMSHEDPUR  
EAST SINGBHOUM, JHARKHAND  
आयुक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निवेदन हेतु अपना आवेदन विहित पत्र में दिनांक 23-06-2005  
को अपने सचिवान दिनांक ..... की प्रतिक्रिया के साथ दिया है। उक्त आवेदन निर्धारित  
समय के 3 साल 2 माह के बिलम्ब के बाद दिया गया है। चूंकि ट्रस्ट/संस्था के आवेदन  
पत्र देने में विवरण के पर्याप्त कारण नहीं पाए गए तथा बेरी के न्याय संगत कारण नहीं दिए जाने के  
कारण इस संस्था का प्रंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा १२ए/एए के अन्तर्गत दिनांक 23-06-2005  
से प्रभावी होगा, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा १२ए/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की संज्ञा में इस आवेदन  
की तकनीकी/12A/VIII-02/05-06/..... में प्रविष्टि कर दिया गया है।

80/

(सुलोकेश सिन्हा)

आयुक्त, जमशेदपुर

ज्ञापन सं० : तकनीकी/12A/05-06/TECH/VIII-02/1560-64  
जमशेदपुर, दिनांक 31-01-2006

प्रतिक्रिया सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. Social & healthy action for Rural Empowerment, Vill. P.O. Saranda, J.R. East Singhbhoim, Jharkhand
2. अपर आयुक्त, परिक्षेत्र- १, २, एवं ३, जमशेदपुर
3. आयुक्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त, अंचल-१, २ एवं ३, जमशेदपुर, आयुक्त महोदय के निम्नलिखित निर्देशों के साथ -

- i. उपर्युक्त आवेदक की आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- ii. आयुक्त (उप) की पत्रता के संबंध में आवश्यक जांच करें।



जोतन राम

(जोतन राम)

आयुक्त अधिकारी (तकनीकी)

कृते :- आयुक्त, जमशेदपुर  
जोतन राम

आयुक्त अधिकारी (तकनीकी)

इसे आयुक्त, जमशेदपुर